बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रचार प्रसार)–33 / 2024....................

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार(ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में पैक्सों के अध्यक्ष / प्रबंधक का प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु योजनान्तर्गत राशि रू० 99,12,500 / –(निन्यानवे लाख बारह हजार पाँच सौ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेशः– स्वीकृत।

सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा अपने दायित्व के प्रति समर्पण भाव पैदा करने हेतु पैक्सों के अध्यक्ष / प्रबंधंक का प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से कुल अनुमानित रू० 99,12,500 / –(निन्यानवे लाख बारह हजार पाँच सौ) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना का उद्देश्यः–

प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्स) में सहकारी संस्कार (Cooperative Culture) विकसित करने एवं पैक्स सदस्यों / किसानों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए उनकी सहभागिता प्राप्त कर पैक्सों की व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि करने में पैक्स अध्यक्षों / प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में प्रतिस्पर्धा का कुशलता पूर्वक सामना करते हुए पैक्स सदस्यों / किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पैक्स अध्यक्षों / प्रबंधकों का राज्य के अंदर प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजना निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होगीः–

(क) राज्यन्तर्गत सफलतापूर्वक संचालित पैक्सों के भ्रमण से पैक्स अध्यक्षों / प्रबंधकों में पेशेवर कौशल (Professional skill) का विकास होगा जिससे पैक्स आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

(ख) सफलतापूर्वक संचालित पैक्सों की कार्यप्रणाली से प्रेरित होकर अध्यक्ष एवं प्रबंधक में संगठन एवं वित्तीय प्रबंधन, मानव प्रबंधन, संप्रेषण इत्यादि गुणों का विकास होगा, जिससे वे प्रबंधकारिणी समिति में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पैक्स सदस्यों / किसानों के आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में अपेक्षित सहयोग कर पायेंगे।

(ग) सफल पैक्सों में क्रियान्वित विविध कार्यों से प्रेरित होकर अन्य पैक्सों के व्यावसायिक क्रियाकलापों में भी वैज्ञानिक तरीके से खेती (आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग), कृषि इनपुट यथा–खाद, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का समुचित प्रयोग, मधुमक्खी पालन, जन–औषधि केन्द्र का संचालन, CSC, डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि विविध कार्यों का समावेश होगा जिससे पैक्स को सतत विकास की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी।

(घ) पैक्स अध्यक्षों / प्रबंधकों में नेतृत्व शैली, संवेदनशीलता, परियोजना प्रबंधन इत्यादि आवश्यक कौशल का विकास होगा।

3. (i) योजना के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

(क) यह योजना राज्यान्तर्गत सभी जिलों के चयनित पैक्सों के लिए लागू होगी।

(ख) प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजना अंतर्गत कुल 8125 पैक्स अध्यक्षों / प्रबंधको को सामान्यतः वैसे पैक्सों का भ्रमण कराया जायेगा, जो राज्यान्तर्गत आदर्श / बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैक्स की श्रेणी में आते है।

(ग) प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन हेतु जिलावार चयनित पैक्सों की सूची संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

(घ) इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षण सह–भ्रमण दर्शन की अवधि–

राज्यान्तर्गत पैक्सों के अध्यक्षों/प्रबंधकों को प्रतिष्ठित/बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैक्सों में एक दिवसीय प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन हेतु भेजा जायेगा।

(iii) प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश अनुलग्नक–1, 2 एवं 3 संलग्न। योजना हेतु अग्रेतर दिशा–निर्देश देने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

(iv) प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन से संबंधित आकलित व्यय निम्नवत् हैः–

भ्रमण का स्थान	प्रतिभागियों की संख्या	25 प्रतिभागी प्रति बैच की दर से बैच की संख्या	प्रति बैच भोजन व्यय	प्रति बैच का वाहन व्यय	प्रति बैच आवश्यक व्यवस्था व्यय	प्रति बैच सकल व्यय
राज्य के विभिन्न जिला	8125 पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक	325	12,500	15000	3000	30500
कुल	30500*325= 99,12,500/–(निन्यानवे लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र)					

4. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0104–सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु व्यय, विपत्र कोड–09–2425000030104, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03–प्रशिक्षण व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन हेतु चयनित पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधंक से प्राप्त एवं संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विपत्र के आधार पर निकासी एवं भुगतान किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत संबंधित प्रशिक्षण–सह–भ्रमण हेतु चयनित पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधंक से प्राप्त एवं संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विपत्र के विरूद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM–25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9. स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

11. योजना प्रस्ताव पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रचार प्रसार)–33 / 2024 के पृ० सं०–35 / टि० दिनांक–12.09.2025 पर प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रचार प्रसार)–33 / 2024 के पृ० सं०–41 / टि० दिनांक–17.09.2025 पर प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रचार प्रसार)–33 / 2024 के पृ० सं०–42 / टि० दिनांक–17.09.2025 पर प्राप्त है।

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–03 / नि॰ प्रशि॰(प्रचार प्रसार)–33 / 2024....362..... / पटना, दिनांक....19/09/25....

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार / अवर सचिव, प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / ~~आई०टी०~~ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

18.09.25

सरकार के अपर सचिव।

18.09.2025

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 पैक्सों के अध्यक्ष/प्रबंधक का प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन कार्यक्रम (Exposure Visit) हेतु मार्गदर्शिका:–

1. परिचय–

सहकारिता के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा अपने दायित्व के प्रति समर्पण भाव पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग के पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक को राज्य के अंदर विकसित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्स) का अध्ययन एवं प्रशिक्षण –सह– भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु भेजा जाना है। विकास के बदलते परिवेश, चुनौतीपूर्ण वातावरण एवं सरकार की बढ़ती अपेक्षाओं के आलोक में सहकारी समितियों का कार्य अत्यंत बहुआयामी हो गया है तथा उनपर निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने का दायित्व रहता है। संप्रति पैक्सों के आय बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ यथा– कॉमन सर्विस सेन्टर, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, पैक्सों में पेट्रोल/डीजल आउटलेट की स्थापना, प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्र आदि संचालित किये जा रहे है।

बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों के अध्यक्ष/प्रबंधकों को सरकार के महत्वकांक्षी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं उनकी कार्य–क्षमता, दक्षता एवं योग्यता में वृद्धि के लिए अध्ययन भ्रमण (Exposure Visit) कराया जा रहा है।

2. उद्देश्य–

प्रशिक्षण–सह–भ्रमण दर्शन का उद्देश्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष/प्रबंधकों की अपेक्षित गुणवत्ता में वृद्धि के साथ–साथ उनमें नेतृत्व शैली, संगठन एवं वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, संप्रेषण, समसामयिक विधि एवं अन्य विषय, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित पेशेवर/वृत्तिक कौशल (Professional skill) विकसित करना है। राज्य के कुछ पैक्सों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित किये जा रहे है, जो अन्य पैक्सों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा।

राज्य के अंदर पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों का भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंदर ही विभिन्न जिलों में विकसित पैक्सों, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किये जा रहे है, का भ्रमण दर्शन कराना है, ताकि पैक्स अध्यक्ष अपने पैक्स में भी इसका अनुसरण कर नवीनतम तकनीक से विभिन्न व्यवसाय का संचालन कर सकें। इससे पैक्सों के वार्षिक आय में बढ़ोतरी होगी तथा किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी।

3. **प्रशिक्षण मोड्युल–**

1. सहकारिता विभाग के समिति अध्यक्षों/प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण की योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जाएगी।
2. इस कार्यक्रम के तहत कुल 8125 पैक्सों को 325 बैचों (25 पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक प्रति बैच) में विकसित पैक्सों का एक दिवसीय भ्रमण दर्शन कराया जाएगा। अवक्रमित (Superseded) एवं व्यतिक्रमी (Defaulter) को भ्रमण हेतु नामित नहीं किया जाना है।
3. इस योजना के तहत जिला सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधकों के भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु 30,500 रूपये प्रति बैच उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु उपलब्ध कराया गया 30,500 प्रति बैच अथवा वास्तविक व्यय प्रति बैच दोनों में से जो भी राशि न्यूनतम होगी, की व्यय हेतु अनुमान्यता होगी।
4. 8125 पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों के भ्रमण दर्शन कार्यक्रम पर अधिकतम 99,12,500/– रूपये (निन्यानवे लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) व्यय होने की संभावना है, विस्तृत व्यय विवरणी एवं जिलावार लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक–02 एवं 03 के रूप में संलग्न है।
5. राज्य के अंदर क्षेत्रीय भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु भाड़े पर लिये गये वाहन के किराये का भुगतान बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप

6. अध्ययन भ्रमण हेतु संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी संलग्न रूट चार्ट के अनुसार निर्धा विकसित पैक्स का भ्रमण हेतु भ्रमणार्थियों को नियत तिथि को नियत स्थान पर एकत्रित कर ब के माध्यम से भेजेगें। भ्रमणोपरांत भ्रमणार्थियों से लिखित Feedback लिया जाएगा। भोजन मद हेतु कर्णांकित राशि जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

7. संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के लाभार्थियों एवं दो विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी प्रति बैच को चयनित भ्रमण दर्शन स्थल तक जाने एवं वापस आने हेतु किराये पर ली जाने वाली भाड़े की बस का आरक्षण किया जाएगा।

8. विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी के यात्रा की अलग से स्वीकृति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी, उनके भोजन एवं यात्रा का भुगतान उनके वेतन शीर्ष के तहत प्रशिक्षण व्यय मद अथवा यात्रा व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाएगा।

9. योजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी रूप में यदि राज्य सरकार के बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निर्धारित बस भाड़ा में बढ़ोतरी की जाती है तथा अपरिहार्य कारणवश जैसे– प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सुखाड़, महामारी, भूकंप, अतिवृष्टि आदि), आपातकाल, चुनाव अथवा चयनित इकाई के मालिक/संचालक के द्वारा पूर्व निर्धारित भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की तिथियों को परिवर्तन/रद्द करने के फलस्वरूप यदि आरक्षित किराया के बस रद्द करना पड़े तो दोनो स्थितियों में संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी अपने प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक से अनुमोदनोपरांत योजना अंतर्गत स्वीकृत/आवंटित राशि के अनुरूप भ्रमण दर्शन करने वाले पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक की संख्या/बैच में आवश्यकतानुसार अनुपातिक बदलाव कर सकेगें, लेकिन व्यय राशि स्वीकृत राशि के अंदर ही सीमित रहेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन ससमय निबंधक, सहयोग समितियाँ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

10. जिलावार भ्रमण हेतु चयनित पैक्सों से संबंधित सूची अनुलग्नक–3 पर संलग्न है। जिलावार चयनित पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधकों की सूची संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा।

11. पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधकों के पूरे भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रशिक्षणार्थियों की सूची कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ को उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुमानित व्यय का आकलनः–

क्रं0 सं0	अव्यय	इकाई	संख्या	प्रति बैच कुल राशि
1.	कुल बैच की संख्या	....	325	-----
2.	प्रति बैच पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधकों की संख्या	....	25	----
3.	कुल पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधकों की संख्या (325 बैच X 25 = 8125)	....	8125	-----
4.	प्रति पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक के भोजन आदि पर व्यय (रू0 500 प्रति 25 अध्यक्ष/प्रबंधकों के लिए)	500 रूपया प्रति दिन	1 दिन	12500
5.	भ्रमण हेतु चयनित पैक्स को अध्यक्ष/प्रबंधकों के लिए आवश्यक व्यवस्था (कुर्सी, चाय इत्यादि) हेतु प्रति बैच	एक मुश्त	प्रति बैच	3000
6.	भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का अधिकतम किराया	15000 प्रति दिन	1 दिन	15000
7.	कुल व्यय प्रति बैच (4+5+6)	रूपया		30500
	कुल 325 बैच हेतु संभावित व्यय (325 X 30500)			99,12,500

कुल संभावित व्यय 99,12,500/– (निन्यानवे लाख बारह हजार पाँच सौ) रूपये प्रशिक्षण मद में

अनुलग्नक–2 वित्तीय वर्ष 2025–26 में भ्रमण दर्शन कार्यक्रम से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

क्र०	जिला का नाम	पैक्स की संख्या	चयनित पैक्सों की संख्या	संख्या (प्रति बैच 25)	राशि (लाख)
1	अररिया	218	200	8	244000
2	अरवल	68	50	2	61000
3	औरंगाबाद	203	200	8	244000
4	बांका	185	175	7	213500
5	बेगूसराय	257	250	10	305000
6	बेतिया	315	300	12	366000
7	भागलपुर	242	225	9	274500
8	भोजपुर	228	225	9	274500
9	बक्सर	142	125	5	152500
10	दरभंगा	330	325	13	396500
11	गया	332	325	13	396500
12	गोपालगंज	234	225	9	274500
13	जमुई	153	150	6	183000
14	जहानाबाद	93	75	3	91500
15	कैमूर	151	150	6	183000
16	कटिहार	238	225	9	274500
17	खगड़ियाँ	129	125	5	152500
18	किशनगंज	126	125	5	152500
19	लखीसराय	80	75	3	91500
20	मधेपुरा	170	175	7	213500
21	मधुबनी	399	375	15	457500
22	मोतिहारी	409	400	16	488000
23	मुंगेर	101	100	4	122000
24	मुजफ्फरपुर	387	375	15	457500
25	नालन्दा	249	250	10	305000
26	नवादा	187	175	7	213500
27	पटना	331	325	13	396500
28	पूर्णियाँ	251	250	10	305000
29	रोहतास	247	225	9	274500
30	सहरसा	153	150	6	183000
31	समस्तीपुर	381	375	15	457500
32	सारण	330	325	13	396500
33	शेखपुरा	54	50	2	61000
34	शिवहर	53	50	2	61000
35	सीतामढ़ी	273	250	10	305000
36	सिवान	293	275	11	335500
37	सुपौल	181	175	7	213500
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अनुलग्नक–3

अध्ययन भ्रमण हेतु चयनित पैक्सों की सूची

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स का नाम	अध्ययन भ्रमण हेतु चयनित जिला
1.	अररिया	फारबिसगंज	पिपरा	किशनगंज
2.		भरगामा	खुटहा	पूर्णिया
3.		कलेर	पहलेजा	जहानाबाद
4.	औरंगाबाद	रफीगंज	इटार	गया जी
5.		कुटुम्बा	बलिया	
6.		रफीगंज	कजपा	
7.	बांका	रजौन	रजौन	भागलपुर
8.		अमरपुर	फतेहपुर	
9.	बेगूसराय	मटिहानी	सोनापुर	समस्तीपुर
10.		मटिहानी	मनिअप्पा	खगड़िया
11.		मटिहानी	सफापुर	
12.	बेतिया	बैरिया	मियांपुर	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
13.		चनपटि्या	गिद्धा	
14.		बगहा	चन्द्राहाँ	
15.	भागलपुर	शाहकुंड	कसवा खेरही	बाँका
16.		पीरपैती	श्रीमतपुर हुजुरनगर	
17.	बक्सर	सदर	जासो	आरा
18.	गोपालगंज	गोपालगंज	तिरबिरवों	सिवान
19.		गोपालगंज	जादोपुर शुक्ल	पश्चिम चम्पारण
20.	जमुई	सिकंदरा	महादेव सिमरीया	शेखपुरा
21.	जहानाबाद	हुलासगंज	मुरगांव	अरवल
22.		काको	अमथुआ	
23.	कैमूर	रामपुर	जलालपुर	रोहतास
24.		मोहनीयां	दादर	बक्सर
25.	खगड़ियाँ	अलौली	हथवन	मुंगेर
26.		खगडियाँ	गौरा शक्ति	बेगूसराय
27.	किशनगंज	किशनगंज	टेउसा	अररिया
28.	मधेपुरा	मधेपुरा	मानिकपुर	सुपौल
29.		शंकरपुर	गिद्धा	
30.	मधुबनी	लदनीया	लक्ष्मीनियाँ	दरभंगा
31.		मधेपुर	महिशाम	
32.	मोतिहारी	पताही	बोकाने	सीतामढ़ी
33.		नरकटिया	जीतपुर	
34.	मुंगेर	तारापुर	मानिकपुर	जमुई
35.	मुजफ्फरपुर	औराई	विशनपुर गोखुल	वैशाली
36.		सरैया	बहिलवारा रुपनाथ दक्षिणी	
37.	नालन्दा	एकंगरसराय	तेलहाड़ा	पटना
38.		राजगीर	मेधीनगवाँ	नवादा
		[illegible]	[illegible]	लखीसराय

40.	पटना	बिहटा	नेउरा	नालंदा
41.		पालीगंज	अजदा सिकरिया	
42.		दनियावां	खरभैया	
43.		नौबतपुर	चिरौरा	
44.	पूर्णियाँ	रूपौली	सिंहपुर दियारा	कटिहार
45.	रोहतास	रोहतास	नवाडीह	कैमुर
46.		संझौली	चाँदी इंग्लिश	
47.		सासाराम	मुरादाबाद	
48.	सहरसा	सत्तर कटैया	सिहौल	मधेपुरा
49.		सिमरी बख्तियारपुर	खजुरी	
50.	समस्तीपुर	सरायरंजन	सरायरंजन पश्चिमी	मधुबनी
51.		विभूतिपुर	साखमोहन	
52.	सीतामढ़ी	रून्नीसैदपुर	अथरी	मुजफ्फरपुर
53.		बैरगनियां	पताही	शिवहर
54.	सिवान	भगवानपुर हाट	मिर्जुमला	गोपालगंज
55.	सुपौल	बसंतपुर	रतनपुर	सहरसा
56.		किशनपुर	सुखासन	
57.		पिपरा	थुमहा	
58.	वैशाली	पातेपुर	बरडीहा तुर्की	छपरा
59.	गया जी	सदर	रसलपुर	औरंगाबाद